न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी – सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या – 160 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2025 / 301
दायर दिनांक – 30.06.2025 निर्णय दिनांक – 27.08.2025

पंचायत समिति घटियाली जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति घटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घटियाली तहसील घटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घटियाली

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 267 / 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि ग्राम घटियाली पटवार हल्का घटियाली में आई हुई है। प्रार्थी पंचायत समिति घटियाली के पक्ष में भूमि आवंटन के लिये आवेदन देने पर हल्का पटवारी द्वारा एक प्रस्ताव मार्फत तहसीलदार के पेश किया जिस पर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आदेश कमांक प–12(3) राज / आवंटन / 21 / 1480 दिनांक 01.03.2021 को खसरा नम्बर 267 रकबा 279–04 बीघा में से 10–00 बीघा भूमि पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु आवंटन पत्र के साथ संलग्न नक्शा में प्रस्तावित भूमि रोड पर बताई गई थी। अप्रार्थी ने आवंटन सुदा भूमि को आवंटन पत्र के साथ संलग्न नक्शा से भिन्न जगह तरमीन कर दी जो गलत है एवं दुरुस्त करवाने के अधिकारी है जो तरमीम दुरुस्त की जावे एवं नक्शा में तरमीम आवंटन पत्र के साथ संलग्न नक्शानुसार की जावे जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार घटियाली ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम घटियाली पटवार हल्का घटियाली तहसील घटियाली के खसरा नम्बर 267 / 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की तरमीम आवंटन आदेश कमांक प–12(3) राज / आवंटन / 21 / 1480 दिनांक 01.03.2021 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नहीं की जाकर भू–नक्शा में ऑनलाईन तरमीम भिन्न

बाप (फलोदी)

स्थान पर कर दी गयी। तहसीलदार घंटियाली के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा भू-नक्शा में आवंटन आदेश के विपरित की गई है जिसे आवंटन आदेश अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजो से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का घंटियाली एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क "ए" अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 267/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का घंटियाली एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क "ए" अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)